THE TIMES OF INDIA

Date: 06-04-18

They don't really care about us

Our politicians have mastered the art of electioneering untied to performance or public welfare

Rishi Sethi, [The writer runs a PR and marketing startup]

A new contraption has found its place besides the near-ubiquitous invertor and water purifier in a large number of upper and middle class homes in India in the last few years: the air purifier. The majority population of course cannot afford these luxuries and continues to suffer with chronic power outages, undrinkable water, overcrowded hospitals, and in recent years, poisonous air. There are many reasons for the Indian state's inability and gross incompetence to provide public goods, but the principal among them is that this failure leads to zero political consequences. Consider the knee-jerk reactions and announcements in response to the annual and predictable air pollution crisis in Delhi and northern Indian states; which are carefully calibrated to control the public outrage before it runs its course and dies down on its own.

Our politicians have for long been aware that winning elections and gaining power is untied from the performance of a government. In the earlier decades majority of votes were cast solely on caste or communal lines; now the formula to win votes includes promises of freebies, and exercise of discretionary power. As a result, the politicians' interest has not only got separated from that of people they serve; in many cases the former runs counter to the latter. This explains why India languishes as a poor third world country 70 years after gaining Independence. Pick any global ranking or scorecard of consequence and India is invariably found at the bottom. On the World Human Development Index, we ranked at 131 out of 188 countries; the 2017 World Hunger Index puts India at 100th rank out of 119 countries.

Despite having the world's largest young population, we rank 81st on Global Talent Competitiveness Index. The quality of our education is so bad that 25% of youth in the 14-18 years age group cannot read basic text fluently in their own language. The situation in higher education is further exacerbated with systemic inadequacies; a large proportion of sanctioned teaching posts in central universities often lie vacant. It is no wonder that studies frequently find as much as 75% of graduates in India are unemployable. Most of us are aware that unless a student went to a handful of elite engineering or business schools, there is little hope for a placement or a decent salary. Imagine telling millions of students undergoing graduate courses in various colleges and institutes that their degrees and diplomas will mostly be worthless.

In 2009, India participated in Global Education International Triennial Survey (popularly known as Programme for International Student Assessment or PISA), and was ranked 72nd out of 74 participating countries. Ever since, we have declined to participate in this survey, presumably out of the need to prevent continuing embarrassment. In healthcare, literally a matter of life and death for people, the situation is equally dire. The 2015 Global Healthcare Access and Quality Index ranked India a lowly 154th

out of 195 countries, calling the country one of the biggest underachievers in Asia. Government hospitals are understaffed and underfinanced; and most private medical care is concentrated in urban India.

Judged by these and several other metrics on hand, India is sliding down a path of irredeemable despair. Remarkably no political party or its leader have acknowledged the challenges publicly, let alone put forth a coherent vision or action plan to stem this rot. Far from taking India forward on the path to progress; our politicians cutting across states and party lines are keeping it shackled and stagnant, and in several cases, pushing it backward still. Senior Congress politician Jairam Ramesh once wrote that the biggest problem for India is that there is no end to its problems. Evidence suggests our politicians even lack the will to try solving some of the most pressing problems. The politicians have successfully hacked the code of India's democracy – they know what it takes to win votes and power. When low-hanging fruits like freebies and election-time largesse in the form of announcement of new schools and hospitals are enough to win elections, why would they bother with systemic and long-term changes?

There is another sinister reason for politicians preserving the status quo. Inadequacy of public goods allows them to exercise discretionary power over access; politicians decide who gets admission to a reputed school or college, or a hospital bed. Outside of the big cities, they decide how soon one will get an electricity connection or a hand pump, even whose FIR gets written and what direction the police investigation will take.

Voters know and remember which politician can help them with access to public services they need most and reward them with power. Abundance of this discretionary power allows politicians across administrative levels to subvert the rule of law and impose a rule of will; undermining the very foundations of a republic. This rule of will is a self-enforcing cycle that chips away all political incentives to provide for public goods and civic amenities – including something as basic to life as clean air.

One way to break out of this predicament, as some of our finest professionals have shown us, is to migrate to another country where governments and politicians are more considerate towards their citizens. But for the vast majority of us, the only real hope is in finding a way to realign the interests of our politicians with public interest. Until that happens, we are doomed to continue with a country in perpetual decline.

दैनिक भास्कर

Date: 06-04-18

सामाजिक क्रांति को साकार करना आंबेडकर का सम्मान

संपादकीय

अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों में बाबा साहेब आंबेडकर का नाम भुनाने की होड़ मची है। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन है कि उनकी सरकार ने आंबेडकर का जितना सम्मान किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से लगातार निकटता बढ़ा रही समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस साल 14 अप्रैल को वह बाबा साहेब की जयंती जोर-शोर से मनाएगी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने यह बयान कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन दलित संगठनों को रिझाने के लिए दिया है जिन्होंने 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान देशव्यापी आक्रोश व्यक्त किया था। सही है कि दिल्ली में आंबेडकर भवन का निर्माण और फिर राजपुर रोड स्थित बाबा साहेब के आवास का जीर्णोद्धार कराने का फैसला एनडीए सरकार ने लिया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बाबा साहेब को प्रातःस्मरणीय व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। इसके बावजूद इस यथार्थ को नहीं भूलना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब 1990 में डॉ. आंबेडकर को मरणोपरांत भारत र| देने का फैसला किया तो उसके पीछे भाजपा की पैरवी नहीं, सामाजिक न्याय की राजनीति और कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज के आंदोलन का बढ़ता दबाव था। सवाल बाबा साहेब की शिक्षाओं को लागू करने और उनके संविधानवाद को समझने का है। डॉ. आंबेडकर ने व्यक्तिपूजा के खिलाफ सख्त हिदायत दी थी। उनका कहना था कि किसी की भी बात को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। विडंबना है कि आज बाबा साहेब की शिक्षाओं को छोड़कर उनकी पूजा की होड़ मची है। उनके विचार-दर्शन के मूल में जाति व्यवस्था का समूल नाश है और उस समाज को बनाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। उसी दर्शन को उन्होंने संविधान में समाहित करने की कोशिश की। उनका कहना था कि हिंदू धर्म को अपने ग्रंथों में संशोधन करना चाहिए और उसे एक मिशनरी धर्म बनाना चाहिए। बाबा साहेब की जय जयकार करने वाले राजनीतिक दल अपने एक भी बयान में यह नहीं कहते कि इस जाति व्यवस्था का नाश किए बिना बहुत सारी समस्याएं बनी रहेंगी। दरअसल बाबा साहेब आंबेडकर का वास्तविक सम्मान तभी संभव होगा जब उनकी मूर्तियां लगाने की बजाय उनके सामाजिक क्रांति के विचारों को मूर्त रूप दिया जाए।

जनसत्ता

Date: 05-04-18

आतंक की सूची

संपादकीय

अमेरिका ने मुंबई हमले के असली सूत्रधार हाफिज सईद और उसके नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए उसकी पार्टी मिल्ली मुसलिम लीग (एमएमएल) को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि एमएमएल हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) की राजनीतिक इकाई है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब पाकिस्तान में जुलाई में होने वाले आम चुनाव के लिए कई पार्टियां अपना पंजीकरण कराने में लगी हैं। जाहिर है इसके बाद अब एमएमएल को पाकिस्तानी चुनाव आयोग में अपने को राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकृत करा पाने में काफी मुश्किलों

का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की यह कार्रवाई इस लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है कि पाकिस्तान शुरू से ही हाफिज सईद और उसकी गतिविधियों को 'आतंकवाद' से जुड़ा मानने से इनकार करता रहा है और उसे संरक्षण प्रदान करता रहा है। यह कार्रवाई भारत के उन आरोपों को भी पुष्ट करती है कि आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान में ही मौजूद हैं जिन्हें वहां की सेना, आइएसआइ और सरकार का संरक्षण मिला हुआ है।

अमेरिका इस बात को भलीभांति जानता-समझता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराता है और उन्हें पनाह देता है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के बड़े ठिकाने खुद अमेरिका के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दूसरी ओर, उसे पूरी दुनिया में इस बात के लिए भी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है कि सब कुछ जानते-बूझते भी वह पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक मदद देता है, जबकि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में करता है, खासतौर से भारत के खिलाफ। लंबे समय से कश्मीर सहित भारत के अलग-अलग इलाकों में आतंकवादी हमलों को अंजाम ऐसे आतंकी संगठन ही दे रहे हैं। भारत ने भी समय-समय पर इसे लेकर अमेरिका के सामने आपत्ति दर्ज कराई है और पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर कदम उठाने को कहा है। अब जाकर एमएमएल के अलावा अमेरिका ने तहरीक-ए-आजादी-ए-कश्मीर (टीएजेके) को भी आतंकवादी समूहों की सूची में शामिल किया है। यह संगठन भी लश्कर-ए-तैयबा का ही है।

यों यह जगजाहिर है कि पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना की मर्जी के बिना कोई आतंकी संगठन अपनी गतिविधियां नहीं चला सकता। पाकिस्तान ने तो हाफिज सईद को आतंकी मानने से ही इनकार कर दिया था। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद वह हाफिज जैसे आतंकी सरगनाओं को अब कैसे बचाएगा, यह देखने वाली बात है। अस्सी के दशक में लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन हाफिज ने ही बनाया था, जिसका काम अफगानिस्तान में सोवियत फौज से निपटना था। बाद में पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कश्मीर में करना शुरू कर दिया। भारत में संसद पर हमले और मुंबई हमला भी लश्कर-ए-तैयबा ने कराया था। न्यूयार्क पर 2001 के आतंकी हमले के बाद अमेरिका सहित भारत, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और रूस ने भी लश्कर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन साथ ही मुखौटा संगठन के रूप में जमात-उद-दावा जैसा संगठन खड़ा करवा दिया। बाद में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने जेयूडी को भी आतंकी संगठन घोषित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि हाफिज सईद नए-नए नाम से संगठन बना कर अपनी गतिविधियों को संचालित करता रहता है। ऐसे में देखना है कि अमेरिका की ताजा कवायद के बाद पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है!

Live हिन्दुस्तान.com

Date: 05-04-18

संसद में अवरोध की राजनीति

देवेन्द्र सिंह असवाल, पूर्व अपर सचिव, लोकसभा

नोक-झोंक, रोक-टोक, आकस्मिक व्यवधान, व्यंग्य-विनोद, हाजिर जवाबी और तर्क चातुर्य ऐसी विधाएं हैं, जो संसद की कार्यवाही को जीवंत बनाती हैं। ये मौलिक बहस का सृजन और साथ ही सांसदों की तत्क्षण स्फूर्त बोलने की क्षमता का निर्माण करती हैं। यह तभी संभव है, जब संसद निर्धारित अवधि पर मिले, पर्याप्त बैठकें हों, वैचारिक उदारता हो और सबसे बड़ी बात है कि सदन सुचारू रूप से चले। संविधान में व्यवस्था है कि संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने या इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। यद्यपि हमारी संसद वर्ष में तीन बार राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, पर विश्व की कुछ प्रमुख संसदों की तुलना में देखें, तो भारतीय संसद की औसत वार्षिक बैठकों और कार्यवाही का समय बहुत कम है। इंग्लैंड की प्रतिनिधि सभा औसतन वर्ष में 140 दिन, 1670 घंटे, अमेरिका में 136 दिन, 2000 घंटे, ऑस्ट्रेलिया में 64 दिन, 626 घंटे काम करती है, जबकि भारत में 64 दिन, 337 घंटे काम होता है।

पंद्रहवीं लोकसभा में कुल 357 बैठकें हुईं और केवल 1344 घंटे सदन बैठा, जिसमें 891 घंटे अवरोध और स्थगन के कारण खराब हुए। यह स्थिति हुई, जब 2-जी स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोयला खदानों के आवंटन जैसे मामले संसद में आए। अलग तेलंगाना के गठन को लेकर संसद की बैठकें बार-बार स्थगित हुईं। साथ ही संसद में अवरोध का एक अशोभनीय तरीका- तख्तियां लेकर सदन के मध्य में आना- शुरू हुआ और वह भी सत्ता पक्ष के कुछ असंतुष्ट सदस्यों द्वारा। सोलहवीं लोकसभा के पहले कुछ सत्र तो सहज, निर्बाध चले, पर पिछले सत्र से दोनों सदनों की बैठकें लगातार स्थगित होने लगीं। अवरोध का नवोन्मेशी तरीका, कुछ सदस्यों का सदन के मध्य में तख्तियां लेकर आना, एक घोर आपत्तिजनक गैर-संसदीय प्रवृत्ति बन गई है। नियम के अनुसार, जब सदस्य सदन के मध्य में आ जाएं, तो पीठासीन अधिकारी कार्यवाही स्थगित करने को बाध्य हो जाते हैं। वर्तमान सत्र में तो टकराव व अवरोध के कारण मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा को अध्यक्ष ने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि सदन व्यवस्थित नहीं है, तो दूसरी ओर अव्यवस्था और शोर-शराबे के बीच कई विधेयक और वर्ष 2018-19 का बजट बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए।

व्यवधान के कारण राष्ट्र को कितनी हानि होती है, इसके अनुमान लगाए जाते हैं। संसद के वार्षिक बजट को वर्ष के 365 दिनों से विभाजित करके संसद चलाने की दैनिक लागत निकालकर एक सरल मूल्यांकन किया जाता है, जो मेरे विचार में दोषपूर्ण है। लगातार अवरोध और सदन के बार-बार स्थगन से संसद की कितनी कार्य-क्षमता क्षीण होती है, छवि धूमिल और संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा का ह्रास होता है, इसका मौद्रिक आकलन नहीं हो सकता। अवरोध और लगातार स्थगन दर्शाते हैं कि ऐसे सांसदों का विश्वास बहस में कम, और संसद के भीतर धरना देने में ज्यादा है। संसद में देश की ज्वलंत समस्याओं, जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि उनका यथासंभव निराकरण हो सके, कार्यपालिका की स्वच्छंदता पर अंकुश रहे और सरकार संसद और जनता के प्रति जवाबदेह रहे। जनता अपने प्रतिनिधि इस आशय से चुनती है कि संसद में सुचिंतित बहस हो, सांसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि अच्छे कानून बनें। पर आज स्थिति यह है कि लोक-प्रतिनिधि, अपवादों को छोड़कर, राजनीतिक दलों के संसदीय बांकुरे बन रहे हैं और लोक-प्रतिनिधि कम। ऐसा लगता है कि ऐसे माननीय सदस्य अपने निजी विवेक को दबाकर केवल अपनी पार्टी का हुक्म बजाते हैं। सारी सोच अपनी पार्टी के हित और अपना अगला चुनाव जीतने तक सिमट गई है। कई बार वरिष्ठ

सांसद ऐसी आपत्तिजनक, गैर-संसदीय और असांविधानिक व्यवहार पर अपना रोष प्रकट कर चुके हैं। वयोवृद्ध लालकृष्ण अडवाणी ने तो इसी लोकसभा में क्षुब्ध होकर कहा था कि उनका 'इस्तीफा देने का मन करता है'।

एक कहावत है कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अपनी बात रखते हैं और बहुसंख्यक अपने मन की करते हैं। शायद इसी कारण से संसदीय लोकतंत्र को कई विधिशास्त्री बहुसंख्यकों की तानाशाही कहते हैं। पर अब नजारा बदल गया है। अब अल्पसंख्यक अवरोध पैदा करते हैं और बहुसंख्यक चर्चा नहीं करते या नहीं कर पाते। कुछ तख्तीधारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पटरी से उतार रहे हैं, उसे जबरन 'डिरेल' कर रहे हैं। हर सांसद और राजनीतिक दल को संसद में अपना मत प्रकट करने का सांविधानिक अधिकार है। यदि वे असंतुष्ट हैं, असहमत हैं, तो अपना मत सदन में प्रकट कर सकते हैं, या विरोध दर्ज करते हुए बहिर्गमन कर सकते हैं। लेकिन इसकी बजाय ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि सदन की कार्यवाही ठप्प करने पर पीठासीन अधिकारी विवश हो जाते हैं।

क्या सदन को बार-बार स्थगित करना ही विरोध और असहमति व्यक्त करने का तरीका बन जाएगा? क्या धरना-प्रदर्शन संसद के अंदर बहस और विरोध की अभिव्यक्ति का पर्याय बन जाएंगे? क्या अब वह समय आ गया है कि संसद के कामकाज में व्यवधान डालने वाले सांसदों की सदस्यता रद्द करने पर विचार हो? यह भी आवश्यक है कि सांसदों का महत्व केवल सरकार के गठन और सरकार बचाने तक सीमित न रहे और वे राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी अंतरात्मा की सुनें, ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि वे पार्टी की कठपुतली नहीं। सत्ता पक्ष का विशेष उत्तरदायित्व है कि सदन के बाहर भी प्रतिपक्ष से संवाद के मार्ग खुले रखे, संवाद की पहल करे, विश्वास और समन्वय बनाए और 'को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म' के सिद्धांत का पालन करते हुए क्षेत्रीय दलों और विपक्ष का सहयोग प्राप्त करे। संसद में वाद-विवाद हो, सारगर्भित रचनात्मक चर्चा हो और सुस्थापित नियमों के अनुसार संसद की कार्यवाही चले और अध्यक्ष इंग्लैंड की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की तरह सदन के सभी वर्गों का विश्वास अर्जित करे, तभी विश्व का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र श्रेष्ठता की ओर बढ़ पाएगा।